उत्तराखण्ड विधान सभा

उत्तराखण्ड विधान सभा
की कार्यसूची

मंगलवार, 08 ज्येष्ठ, शक संवत्, 1934

(दिनांक : 29 मई, 2012)

समय : 11 : 00 बजे पूर्वाह्न

1. प्रश्न (देखिये नत्थी **"क"**)

2. निधन के निदेश।

3. संसदीय कार्य मंत्री, उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण (संशोधन) अध्यादेश, 2012 को सदन के पटल पर रखेंगे।

4. संसदीय कार्य मंत्री, उत्तराखण्ड विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (संशोधन) अध्यादेश, 2012 को सदन के पटल पर रखेंगे।

5. सहकारिता मंत्री, उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 2012 को सदन के पटल पर रखेंगे।

6. प्रमुख सचिव, विधान सभा घोषित करेंगे कि :-

   (1) उत्तराखण्ड विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2012 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 29 मार्च, 2012 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 29 मार्च, 2012 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2012 का प्रथम अधिनियम बन गया।

7. सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचनायें, यदि कोई हों।

8. विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न, यदि कोई हों।

9. नियम 315 के खण्ड (13) व (14) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।

10. मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों।

11. संसदीय कार्य मंत्री, उत्तराखण्ड लेखा परीक्षा विधेयक, 2012 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेंगी।

12. संसदीय कार्य मंत्री, उत्तराखण्ड लेखा परीक्षा विधेयक, 2012 को पुरःस्थापित करेंगी।

13. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2012 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेंगे।

14. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2012 को पुरःस्थापित करेंगे।

15. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड वन विकास निगम (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2012 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेंगे।

16. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड वन विकास निगम (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2012 को पुरःस्थापित करेंगे।

17. सहकारिता मंत्री, उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2012 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेंगे।

18. सहकारिता मंत्री, उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2012 को पुरःस्थापित करेंगे।

19. उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम-315 के खण्ड (22) के अन्तर्गत मा0 अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।

20. कार्यस्थगन का प्रस्ताव, यदि कोई हो।

21. नियम 53 के अन्तर्गत सूचनाएं, यदि कोई हों।

आज्ञा से,

देहरादून :
दिनांक : 29 मई, 2012

(डी0पी0गैरोला)
प्रमुख सचिव।